राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1224/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जगदीश प्रसाद यादव ग्राम कालवाड], जयपुर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तहसील कार्यालय जयपुर, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 25-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अब्दुल रहमान, नायब तहसीलदार, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 9-6-17 के द्वारा खसरा नम्बर 276 ग्राम कालवाड़ जिला जयपुर में गैर मुमकिन फील्ड से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की पत्रावली की वांछना की गई थी। पत्रावली नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में खोज पत्र दिनांक 19-2-18 जारी कर अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था। अन्ततः दिनांक 22-2-18 को पुलिस थाना बनीपार्क में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। यह भी निवेदन किया कि पूर्व में भी आयोग द्वारा अपील संख्या 172/2018 एवं 612/2018 निरस्त की जा चुकी है। अतः हस्तगत अपील भी निरस्त की जावे।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-3-18 एवं 23-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि पत्रावली को खोजने से सम्बन्धित की गई कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 12-3-18 से खारिज कर दी गई थी।

8. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त